झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 27 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री मनोज बैठा, ग्रा० लखेया, पो०-बाना, मेराल, गढ़वा।

संबंधित पंचिका
रा०खा०आ० (शि०)- 52/2021

बनाम

DISPOSED
22/07/2022

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	शिकायतकर्ता श्री मनोज बैठा ग्राम–लखेया, पो0–बाना, थाना–मेराल, गढ़वा का शिकायतपत्र आयोग को प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम जोड़े जाने हेतु वर्ष–2017 में आवेदन करने के बाद अबतक नाम नहीं जोड़े जाने की शिकायत की गई थी। उक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई हेतु आयोग के पत्रांक–409 दिनांक–23.07.2021 एवं पत्रांक–638 दिनांक–14.09.2021 द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गढ़वा को मामले की सुनवाई कर निस्तारण किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। पुनः आयोग के पत्रांक–10 दिनांक–04.01.2022 द्वारा शिकायतकर्ता के आवेदन पर त्वरित कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को पत्र प्रेषित किया गया। इस संबंध में कृत कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। अतः उक्त मामले को आयोग द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को प्रतिवादी बनाते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–14.06.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त मामले से संबंधित प्रतिवेदन दिनांक–10.06.2022 तक आयोग को उपलब्ध कराने का निदेश जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को दिया जाय। साथ ही सुनवाई के दौरान वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–14.06.2022 को अपराह्न 02:30 बजे रखें। Sd/- 26.5.22	

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\आदेश...32

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
14.06.2022	आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई। अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। डिजिटल माध्यम से हुई सुनवाई में उपस्थित द्वितीय पक्ष जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा का कहना है कि इस शिकायत वाद के संबंध में 2 दिनों का समय दिया जाय। वे पूरे मामले को देखकर यदि नियम संगत होगा तो शिकायतकर्ता के शिकायत का निराकरण करते हुए परिवार के अन्य सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जुड़वा देंगे। इस मामले की अगली सुनवाई से पूर्व जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा अपना प्रतिवेदन भेजें, जिसमें कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाय। मामले की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–05.07.2022 को निर्धारित की जाती है। (शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
05.07.2022	अभिलेख उपस्थापित। आज की सुनवाई डिजिट़ल माध्यम से की गई। उभयपक्ष उपस्थित। सुनवाई में डिजिटल माध्यम से उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा का कहना है कि आयोग के पिछले निर्देश में उन्होंने जब कार्रवाई शुरू की, तो पता लगा कि शिकायतकर्ता ने जो राशन कार्ड नं0 उपलब्ध कराया है, उसमें एक डिजिट कम है। आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को शिकायतकर्ता के घर का पता लिखवाते हुए निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ता से संपर्क कर उनके शिकायत का निष्पादन करना सुनिश्चित करें। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–22.07.2022 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को दें। अभिलेख दिनांक–22.07.2022 को उपस्थापित करें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx20	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
22.07.2022	अभिलेख उपस्थापित। आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा के प्रतिनिधि द्वारा आयोग को बताया गया कि शिकायतकर्ता का नाम राशन कार्ड में पूर्व में ही जोड़ दिया गया है। शिकायतकर्ता सुनवाई में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में आयोग यह मान रहा है कि शिकायतकर्ता के शिकायत का समाधान हो गया है। ऐसे में आयोग इस वाद को समाप्त करता है। भविष्य में यदि शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई, तो पुनः इस वाद को शुरू किया जा सकता है। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx23	